केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 02.06.2017

सीबीआई ने अलग-अलग मामलों में तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, नोयडा प्राधिकरण सहित सात आरोपियों एवं अन्यों के विरूद्ध दो आरोप पत्र दायर किए

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने छ: आरोपी व्यक्तियों यथा तत्कालीन सी.एम.ई. (जल)/ मुख्य अभियन्ता, नोयडा प्राधिकरण ; तत्कालीन परियोजना अभियन्ता, ई एण्ड एम.-।।। ; तत्कालीन ए.पी.ई., ई एण्ड एम.-।।। ; तत्कालीन जे.ई, ई एण्ड एम.-।।। ; दिल्ली/ नोयडा स्थित प्राइवेट निर्माण कम्पनी के साझीदार तथा उक्त प्राइवेट कम्पनी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, गा़जियाबाद (उत्तर प्रदेश) में आरोप पत्र दायर किया। 2078.68 लाख रू. (लगभग) तथा 1732.34 लाख रू. (लगभग) मूल्य की भूमिगत केबल बिछाने से सम्बन्धित आरोपों पर आरोप पत्र दायर हुआ, दोनो ही कार्य दिल्ली/ नोयडा स्थित प्राइवेट निर्माण कम्पनी को आवंटित थे जो कि दिनॉक 21.03.2011 को एन.आई.टी. में बिछाई गई केबल का ही भाग थे। जॉच के दौरान, ऐसा पता चला कि कथित रूप से कार्य पहले से ही निश्चित था, कार्य का आंकलन बढ़ा कर दर्शाया गया,बी.ओ.क्यू. (मात्रा का बिल) को बदल दिया गया एवं उक्त प्राइवेट कम्पनी को एल-। जैसा बनाने के लिए ठेकेदारों के मध्य उत्पादक संघ बना तथा अप्रैल, 2011 के दौरान कार्य प्रारम्भ हुआ जबकि एन.आई.टी. अगस्त-सितम्बर- 2011 में खुली थी। ये दोनो कार्य, सेक्टर 14, ए, नोयडा (उत्तर प्रदेश) से महामाया फ्लाई ओवर तथा फ्लाई ओवर फिल्म सिटी से टी पॉइन्ट कैमब्रिज स्कूल, नोयडा परिक्षेत्र में भूमिगत केबल बिछाने से सम्बन्धित था।

इन दोनो कार्यों में 2,22,63,897 रू. (लगभग) तथा 6,62,50,802 रू. (लगभग) की सरकारी खजाने को कथित हानि हुई।

एक अन्य मामले में, प्राइवेट व्यक्ति (तत्कालीन परियोजना अभियन्ता, ई एण्ड एम-।। की पत्नी) को, उकसाने एवं अपराधिक षड़यंत्र के उसके अपराधों के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत पूरक आरोप पत्र दायर हुआ। ऐसा पाया गया कि प्राइवेट व्यक्ति (तत्कालीन परियोजना अभियन्ता की पत्नी) को नोयडा (उत्तर प्रदेश) स्थित प्राइवेट निर्माण कम्पनी के कर्मचारी के तौर पर दर्शाया गया। उक्त फर्म के विरूद्ध पूर्व में ही आरोप पत्र दायर हुआ था। उसे कथित रूप से 11 लाख रू. (लगभग) की धनराशि गैर-गारंटी ऋण के तौर पर दिया गया एवं उसे उक्त प्राइवेट निर्माण कम्पनी की एक सहायक संस्था, जिसे कथित रूप से ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण के द्वारा 17.77 करोड़ रू. (लगभग) मूल्य का एक संस्थागत भूखंड आवंटित हुआ, का निदेशक बनाया गया। ऐसा घ्यान रखना चाहिए कि 1 किग्रा की सोने की ईट, जिसका मूल्य 26 लाख रू. (लगभग) है को भी, उसके आरोपी पति (जो की अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं, जैसा कि दिनांक 15.03.2016 को उसके विरूद्ध पूर्व में दायर आरोप पत्र में उसका नाम था) के पास से तलाशी के दौरान बरामद किया गया था।

सीबीआई ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के दिनांक 16.07.2015 को जारी आदेश के अनुसरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 409, 420, 466, 467, 469, 471 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा13(2) के साथ पठित धारा 13(1) (डी) के तहत नोयडा/ ग्रेटर नोयडा/ यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण (उत्तर प्रदेश) के तत्कालीन मुख्य अभियन्ता व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध 9202 लाख रु. (लगभग) मूल्य के

भूमिगत केबल को बिछाने में की गई कथित भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने व अन्य आरोपो पर दिनांक 30.07.2015 को मामला दर्ज किया।

जॉच के पश्चात, दिनांक 15.03.2016 को 14 आरोपियों यथा तत्कालीन मुख्य अभियन्ता ; उनकी पत्नी (प्राइवेट व्यक्ति) ; तत्कालीन परियोजना अभियन्ता, (ई एण्ड एम.-।।) दो तत्कालीन सहायक परियोजना अभियन्ता, (ई एण्ड एम.-।।) ; दो तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता (ई एण्ड एम.-।।) ; एक अन्य तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता ; नोयडा (उ.प्र.) स्थित प्राइवेट कम्पनी के तत्कालीन प्रबन्ध साझीदार ; नेहरू नगर, गाजियाबाद स्थित प्राइवेट कम्पनी के तत्कालीन साझीदार ; राज नगर,गाजियाबाद स्थित प्राइवेट कम्पनी के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक तथा नोयडा, नेहरू नगर एवं राज नगर (दोनो गाजियाबाद स्थित) की उक्त तीन कम्पनियों को उनके अधिकृत प्रतिनिधित्वकर्ताओं के माध्यम से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 109, 468, 471 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत उद्योग मार्ग एवं एम.पी. 1 मार्ग, नोयडा (उत्तर प्रदेश) में भूमिगत केबलों को बिछाने से सम्बन्धित आरोपों के सन्दर्भ में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, गा़जियाबाद (उत्तर प्रदेश) में आरोप पत्र दायर किया। जॉच से पता चला कि ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए कथित रूप से कार्य का आवंटन पहले से ही निश्चित था ;निविदा की प्रक्रियाओं का जानबूझकर उल्लंघन किया गया ; आंकलन को बढ़ कर पेश किया गया। सरकारी खजाने को 19 करोड़ रु. (लगभग) की कथित हानि हुई।

सीबीआई ने पूर्व में ही अगस्त, 2015 के दौरान आगरा व फ़िरोजाबाद, नोयडा/ ग्रेटर नोयडा (उत्तर प्रदेश) सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी की जिसमें नोयडा व आगरा स्थित 38 अचल सम्पत्तियों/ घरों के दस्तावेज तथा अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। सीबीआई ने उक्त मामले की जारी जॉच में दिसम्बर, 2015 के दौरान परियोजना अभियंता को एवं दिनांक 03.02.2016 को

नोएडा/ ग्रेटर नोयडा/ यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों (उत्तर प्रदेश) के तत्कालीन मुख्य अभियन्ता को गिरफतार किया।

परियोजनाओं के आवंटन के सन्दर्भ में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के बाकी हिस्सों एवं अन्य आरोपियों की भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में संलिप्तता की आगे की जॉंच जारी है।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्धारा की गयी जॉंच व इसके द्धारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****